# न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
## पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

**राजस्व अपील : 14/2010**

| अपीलान्ट | बनाम | रेस्पोडेन्ट :– |
|---|---|---|
| रमेशकुमार पुत्र रताराम जाति रावल निवासी भन्दर तहसील बाली | | 1 हिम्मतराम पुत्र रताजी<br>2 धनराज पुत्र रताजी<br>3 गिरधारीलाल पुत्र रताजी<br>4 स्व0 मंशाराम पुत्र रताजी के का0मु<br>4/1 प्रकाश कुमार पुत्र मंशाराम<br>4/2 मुकेश कुमार पुत्र मंशाराम<br>4/3 लीला पत्नि मंशाराम<br>5 स्व0 छगनलाल पुत्र रताजी के का0मु0<br>5/1 सुरेश कुमार पुत्र छगनलाल<br>5/2 दिनेश कुमार पुत्र छगनलाल<br>5/3 ललित कुमार पुत्र छगनलाल<br>5/4 कमलेश कुमार पुत्र छगनलाल<br>जातिगण रावल निवासीगण भन्दर तहसील बाली |

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956**

उपस्थित :–
श्री लक्ष्मण के0 चौधरी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
रेस्पोडेन्ट्स अनुपस्थित।

**–: निर्णय :–**

**दिनांक :** 22.11.2017

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम भन्दर तहसील बाली के नामान्तरकरण संख्या 427 पर नायब तहसीलदार बाली द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 20.06.1992 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट एवं उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता नियत तारीख पेशी को न्यायालय में उपस्थित नही हुए। अतः रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम भन्दर के खसरा नम्बर 403 रकबा 0.53 हैक्टेयर की भूमि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स के पिता रता पुत्र नथाजी की खातेदारी भूमि थी। रता के छह पुत्र थे। रता फौत होने के पश्चात जो फौतेदगी नामान्तरकरण दायर किया गया, उसमें रता के पांच पुत्रों के नाम इन्द्राज किया गया, जबकि अपीलाण्ट भी रता का जायन्दा पुत्र था, जिसका नाम जैर अपील नामान्तरकरण के जरिये राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने से छोड दिया गया। इस भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमियों के सम्बन्ध में नामान्तरकरण संख्या 381 व 382 दिनांक 20.06.1992 को दायर किये गये,

अति॰ जिला कलक्टर, पाली

उसमें रेस्पोडेन्ट्स के साथ अपीलाण्ट का नाम भी रताजी के वारिशान के तौर पर दर्ज किया गया, जबकि जैर अपील नामान्तरकरण में दायर नही किया जाकर कानूनी भूल की है। अतः जैर अपील नामान्तरकरण विधि विरूद्ध रूप से जारी किया गया है, जो कायम रखने योग्य नही है। अतः अपील स्वीकार करावे एवं जैर अपील नामान्तरकरण पर नायब तहसीलदार बाली द्वारा पारित स्वीकृति आदेश अपास्त करावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। जैर अपील नामान्तरकरण खातेदार रता पुत्र नथा कौम रावल के फौत होने पर उसके पुत्र हिम्मतराम, मंशाराम, छगनलाल, धनराज, गिरधारीलाल पि0 रता के नाम से दायर किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा स्वयं को रता का पुत्र होकर जैर अपील नामान्तरकरण की भूमि में अपना अधिकार होना बताते हुए नामान्तरकरण को निरस्त कराने का अनुतोष चाहा है। जहां तक प्रश्न म्याद का है, तो इस सम्बन्ध में विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जहां पक्षकारो के मध्य हक अधिकार जैसे जटिल बिन्दुओं का प्रश्न हो, वहां म्याद के बिन्दु पर प्रकरण का निर्धारण नही किया जाकर गुणावगुण पर निर्णय किया जाना ही न्यायोचित माना गया है। इस कारण अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जाता है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने जवाब में अपीलाण्ट को रता का पुत्र होना स्वीकार करते हुए अपील में वर्णित तथ्यों की ताईद की है तथा अपील स्वीकार कराने का निवेदन किया। ऐसी स्थिति में प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, जिससे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत रता के समस्त विधिक वारिशान की जांच की जाकर विधिनुरूप नामान्तरकरण की कार्यवाही की जा सके।

परिणामस्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत स्वीकार की जाती है तथा ग्राम भन्दर के नामान्तरकरण संख्या 427 पर नायब तहसीलदार बाली द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 20.06.1992 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ तहसीलदार बाली को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत रता के समस्त विधिक वारिशान की जांच कर नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी अधिनस्थ न्यायालय को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 22.11.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली